UPJL010027722026

Presented on : 25-05-2026
Registered on : 25-05-2026
Decided on : 03-07-2026
Duration : 0 years, 1 months, 9 days

IN THE COURT OF
Spl. Judge SC/ST Act
AT ,Jalaun
(Presided Over by SRI SURESH KUMAR GUPTA)

Bail Application/200088/2026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), जालौन स्थान उरई।

सम्बन्धित नियमित जमानत प्रार्थना पत्र सं0–88/2026

1. छोटे दीक्षित उम्र 40वर्ष पुत्र श्री आत्माराम,
2. पिन्टू लाल उम्र 50वषर्द्य पुत्र सिद्वेश्वर श्रीवास्तव,
3. मनोज महेश्वरी उम्र 56 वर्ष पुत्र श्री माठू महेश्वरी,

समस्त निवासीगण ग्राम रामपुरा किरवाहा, थाना रामपुरा, जिला जालौन।

.....(आवेदक/अभियुक्त)

बनाम

1. सरकार उत्तर प्रदेश ..... (लोक अभियोजक)

परिवाद संख्या 22/2024
एस0एस0टी0 संख्या 94/2025,
धारा–323, 504, 506, भा0दं0सं0
धारा 3(1)(द)(ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
थाना रामपुरा, जिला जालौन।

दिनांक–03.07.2026

निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र

आवेदकगण/अभियुक्तगण छोटे दीक्षित, पिन्टू लाल व मनोज महेश्वरी की ओर से एस0एस0टी0 संख्या 94/2025, संबंधित परिवाद संख्या 22/2024 धारा–323, 504, 506, भा0दं0सं0 व धारा 3(1)(द)(ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना रामपुरा, जिला जालौन के प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम जमानत आदेश दिनांकित 19.06.2026 के अनुपालन में आत्मसमपर्ण करते हुए जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है। अभियुक्त आज की तिथि तक अंतरिम जमानत पर हैं।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी दिनांक 22.02.2024 को अपने खेत से घर वापस आ रहा था, समय करीब 7बजे पककी सड़क पर अभियुक्तगण मनोज महेश्वरी, छोटे दीक्षित व पिन्ल्टू लाल कुल्हाड़ी व लाठी लिए हुए मिले और एक राय होकर गाली गलौज करते हुए, उसकी मारपीट करने लगे तथा उसकी जेब से 1500रूपये निकाल लिये और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। परिवादी के परिवाद पत्र व उसकी साक्ष्य के आधार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाते हुए धारा–323, 504, 506, भा0दं0सं0 व धारा 3(1)(द)(ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अंतर्गत तलब किया गया।

जमानत प्रार्थना पत्र में मुख्यतः यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। वह पूर्णतः निर्दोष हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। पार्टीबंदी के कारण झूंठा फंसाया गया है। मनोज महेश्वरी की पुत्री के साथ बलात्कार की घटना घटित हुई थी, जिसका मुकदमा अवनीश कुमार तिवारी, अनूप शाक्यवार, शिवम दोहरे के विझरू0 लिखाया था। इसी केस में दबाव बनाने के उददेश्य से उक्त परिवाद दाखिल किया गया है। प्रार्थीगण का कोई भी पूर्व आपराधिक इतिहास कतई नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि उक्त प्रकरण में लगायी गयी समस्त धारायें 7 वर्ष से कम

Digitally signed by Suresh Kumar Gupta
Date: 2026.07.06 15:49:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अवधि के दण्ड से दण्डित करने का प्रावधान है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सतेन्द्र कुमार अण्टिल बनाम व्यूरों आफ इन्वेस्टीगेशन में पारित दिशा निर्देश के आधार पर प्रार्थीगण जमानत पाने के अधिकारी है। अतः दौरान मुकदमा प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक व परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है।

मैंने जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक व परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण पर वादी की मारपीट करने, व गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने एवं जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप है। धारा 3(2)(va) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट को छोड़कर शेष सभी धाराएं प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय हैं। अभियुक्तगण अंतरिम जमानत पर थे, तथा उनके द्वारा अंतरिम जमानत की शर्तो का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामला परिवाद पर आधारित है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए तथा प्रकरण के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, इस स्तर पर उसे सशर्त जमानत दिये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तदनुसार अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण छोटे दीक्षित, पिन्टू लाल व मनोज महेश्वरी की ओर से एस0एस0टी0 संख्या 94/2025, संबंधित परिवाद संख्या 22/2024 धारा–323, 504, 506, भा0दं0सं0 व धारा 3(1)(द)(ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना रामपुरा, जिला जालौन के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को उनके प्रत्येक के द्वारा मुव0 50,000–50,000/–रूपये (पचास–पचास हजार रूपये) की धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो–दो प्रतिभू दाखिल करने पर उन्हें निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाता है कि :–

1– अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा व अभियोजन साक्षियों को डराया या धमकाया नहीं जायेगा और न ही अभियोजन साक्ष्यों के साथ कोई छेड़–छाड़ करेंगे।

2–न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे और विचारण में सहयोग प्रदान करेंगे।

दिनांकः–03.07.2026

(सुरेश कुमार गुप्ता)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)
जालौन स्थान उरई।
जे0ओ0कोड–यू0पी0–2414,